| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | डॉ. राजेन्द्र कुमार बंशीवाल बनाम लो.सू.अ. ( उपखण्ड अधिकारी बालेसर )<br><br>सू.अ.अ. अपील संख्या 193/2020 | |
| 13.11.20 | अपीलार्थी डॉ. राजेन्द्र कुमार बंशीवाल, पता 128, परिहार नगर, भदवासिया जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.08.20 में उसके द्वारा (1) भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत निजी खातेदारों की जमीन अवाप्त करने के लिए आपके कार्यालय से जारी किये गये नोटिसों की प्रमाणित प्रतिया व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी बालेसर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( उपखण्ड अधिकारी बालेसर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष ( उपखण्ड अधिकारी बालेसर ) से जरिये पत्रांक 1870 दिनांक 06.11.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो सूचना चाही गई है वह सूचना काफी वृहद् है एवं बिन्दु संख्या .3 वैयक्ति सूचना है उक्त सूचना को तैयार करने में कार्यालय का अनावश्यक समय होगा, इसके अतिरिक्त भूमि अवाप्ति में जिन खातेदारों की जमीन अवाप्त की जा रही है इसका प्रकाशन राजपत्र में किया जाकर समाचार पत्रों में भी प्रकाशन किया जाता है। अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना काफी वृहद् होने एवं वैयक्ति सूचना होने से उपलब्ध नहीं करवाई गई जिससे प्रार्थी को अवगत करवाया दिया गया था। हम लोक सूचना अधिकारी की इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है कि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना काफी वृहद् होने से उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। सूचना उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा सूचना शुल्क निर्धारित किया हुआ है अतः सूचना कितनी भी वृहद् हो, निर्धारित शुल्क कुल राशि जमा कराने हेतु प्रार्थी को अवगत कराना चाहिए। प्रकरण में ऐसी कार्यवाही नहीं की है जो विधिक प्रावधानों को आत्मसात न करने का फल है एवं खेदजनक है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (बालेसर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना नियमानुसार 15 दिवस में उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh In
Date: 2020.12.16 15:59:53 IST
Reason: SelfAttested